प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

सेवा में.

प्रबन्धक, स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल ग्राम मिर्जापुर पूजनेकी तहसील बेहट सहारनपुर।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 11925 - 26 विषय: - मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में। महोदय

/2021-22 दिनांक 6.2/0 4 20 22

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कर करें जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/24858— 60/2020—21 दिनांक 17.02.2021 एवं पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/28570 —72/2020—21 दिनांक 25.03.2021 द्वारा निष्ठुल्क एवं बाल क्षिप्ता अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल क्षिप्ता अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपकी संस्था को कम्क्षः कक्षा 01 से 05 एवं कक्षा 06 से 08 तक अंग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता आगामी एक वर्ष के लिए प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है!

अग्रेत्तर कार्यालयी अभिलेखानुसार आपके विद्यालय द्वारा, मान्यता प्राप्त होने के पश्चात से उक्त विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय के विरुद्ध मान्यता की शर्तों के उलंघन सम्बन्धी किसी भी प्रकार की क्षिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त के आधार पर शासनादेश संख्या—89/अरसठ—3—2018—2041/ 2018 बेसिक क्षिया अनुभाग—3 लखन्क दिनांक 11.01.2019 के प्रस्तर 04 में विहित प्रावधानानुसार यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो

गई है 📙

(अम्बरीष कुमार) जिला बेसिक क्षिता अधिकारी, सहारनपुर

पृं<mark>0सं0 एवं दिनांक वही।</mark> प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

2. सम्बन्धित खण्ड/नगर प्रिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक प्रिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

Scholar's Pride Public School Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi) Saharanpur-247120 (U.P.)

Scholar's Pride Public School Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi) Saharanpur-247001 प्रेषक, \*

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

सेवा में.

प्रबन्धक स्कोलर्स प्राईड पब्लिक स्कूल

मिर्जापुर पूजनेकी मु0बाद सहारनपुर

पत्रांक / मान्यता / अंग्रेजी माध्यम / 385 कि 72 / 2020-21 / दिनांक 25 / 3 / विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन मान्यता के सम्बन्ध में।

महोचय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार / प्रतिनिर्देश से मैं, प्रबन्धक, स्कोलर्स प्राईड पब्लिक स्कूल मिर्जापुर पूजनेकी मु0बाद सहारनपुर को दिनांक 01.04.2021 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा oeसे कक्षा os तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता /सम्बंधन करने

के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक ग्रा उसके माता-पिता या तरवाक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यशीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

i. —प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा। ii.

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और (3) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपींट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

ii. कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल उपलब्ध iii.

कक्षाओं की संख्या 06 से 08 तक

प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष ٧.

बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध vi. उपलब्ध

echil पेयजल सुविधा मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई viii.

बाघा रहित पहुंच

Saharanpur 24 Q.N अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध

Schotar's Pride Public School Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi) Saharanpur-247001

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्ष्य नहीं चलाई जायेंगी। विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के

लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तिमों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया

जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेंड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येंक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी का भेजनी चाहिए।

14. स्कोलर्स प्राईड पब्लिक स्कूल मिर्जापुर पूजनेकी मु0बाद सहारनपुर को आबंटित नान्यता कोड संख्यांक ई0/ /2021 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का

उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोंट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर्शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य—करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया, जाये।

17. विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों /कर्मचारियों को अग्नि शमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके साथ ही विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणों की किया शीलता समय—सगय पर अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारियों से सुनि।श्चेत करायी जायेगी।

18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(रमेन्द्र कुमार सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

पृं०सं० एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित— 1. सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

2.सम्बन्धित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद- सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

Scholar's Pride Public School Vill-Mirrapur Pujneki (Karondi) Saharanpur-247120 (U.P.)

Scholar's Pride Public School

Vill. Microphy Pumeki (Karondi)

Sanaranpur-247001

प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

सेवा में.

प्रबन्धक, स्कालर्स प्राईड पब्लिक स्कूल ग्राम मिर्जापुर पुजनेकी, तहसील बेहट, सहारनपुर!

पत्रांक / मान्यता / अंग्रेजी माध्यम / 24858 - 60 /2020-21 दिनांक- /7/02/2/

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं स्कालर्स प्राईड पब्लिक स्कूल ग्राम मिर्जापुर पुजनेकी, तहसील बेहट, सहारनपुर को दिनांक 15.02.2021 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के प्रा कियें जाने के अध्यधीन है-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने

के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवर्ष बाल शिक्षा कर अविकार अधिनियन 2010 (ज्यावंद क्र) के उपवंधों का पारान करेगा :

03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडौस के कमजीर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

04. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता

खोलेगा।

05. सोसाईटी / विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक याउसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के आग्रधीन नहीं करेगा।

06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक ब लक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्षे की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें। 07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यू चर्चा के आधार पर पाठ्यकम को पालन करेगा।

> Scholar's Pride Public School Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)

-hamamir-247001

Scholar's Pride Public School Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi) Saharanpur-247120 (U.P.)

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।

01-विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2500 वर्ग मीटर

02-कुल निर्मित क्षेत्र- 700 वर्ग मीटर

03-क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल- 1800 वर्ग मीटर

04-कक्ष कक्षाओं की संख्या- 05 कक्ष

05-प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष-02 कक्ष

06-बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-01 ba

07-पेयजल सुविधा- आर०ओ० एवं वाटर टेब

08-मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई - 01 कक्ष

09-बाघा रहित पहुंच- उपलब्ध है।

10-अध्यापन पठन सामग्री /कीडा खेलकूद उपस्कों/पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है।

09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यात्।य के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेंड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए — प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. स्कालरी प्राइंड पब्लिक स्कूल गाम विकांदुर दुवलेकी, तकसील केट, राहारनपुर को आबंदित मान्यता कोड संख्यांक ई० / २ / २०२० है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी

पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिक: री द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सु.नेश्चित करने या विद्यालय के कार्य—करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय में कार्यगत अध्यापकों / कर्मचारियों को अन्नि शमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकर्सिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सकें साथ ही विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणों की किया—शीलाता समय समय पर अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारियों से सुनिश्चित करार्यो जायेगी।

18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदाय (रमन्द्र कुमार सिंह) जिला बेंसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

पृंठसंठ/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/ प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, सहारनपुर।

2. सम्बन्धित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद सहारनपुर।

Manager
Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247120 (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

Scholar's Pride Public School VIII. Mirzapul Pujneki (Karondi) Saharanpur-247001